



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-164 राँची, सोमवार, 10 फाल्गुन, 1942 (श०)
01 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-10/सी.बी.आई.-412/2020- 792 -- झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं.-25) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक एवं शाखा प्रधान सी०बी०आई०, ए०सी०बी० धनबाद के पत्रांक-1062, दिनांक-08.12.2020 को किये गये अनुरोध के आलोक में प्रधान डाकघर, गिरिडीह के कर्मचारियों/पदाधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध धारा-120बी, 420 भा.द.वि. एवं सहपठित भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधित) अधिनियम 2018 के धारा-13 (2), 13(1)(ए) के अंतर्गत काण्ड दर्ज कर अनुसंधान हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

HOME, PRISONS AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION**11 February, 2021.**

No.-10/C.B.I.-412/2020- 792 -- In exercise of the powers conferred by Section-6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) H.E. the Governor of Jharkhand has been pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction to the members of Delhi Special Police Establishment in the whole of State of Jharkhand upon request made via letter number 1062 dated 08.12.2020 of Superintendent of Police/ Head of Branch, CBI, ACB Dhanbad for investigation of the offences U/s 120B, r/w 420 of IPC and section 13(2) r/w 13(1)(a) of PC (amendment) 2018 against concerned Central Government employees and others in relation of in connection or in conspiracy with the offences and other offences committed in the course of transaction arising out of the alleged offence related to fraudulent withdrawal of Government money from Giridih Head Post Office.

By order of the Governor of Jharkhand,

Dhanesh Kumar,

Under Secretary to Government.
